UGC's Plan to open Colleges of Job oriented courses

2272. PROF. M. SANKARALINGAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether University Grants Commission is planning to open colleges of job oriented courses, instead of increasing arts colleges;

(b) if so, the details of the scheme;

(c) whether Universities would be requested to explore the scheme of having arts courses by correspondence and not in regular colleges; and

(d) if so, the stage of implementation?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) University Grants Commission or the Central Government do not establish colleges of their own. Colleges are generally set up by Universities/State Governments/private managements keeping in view the need for higher education in a particular region and the availability of resources.

In 1994-95, University Grants Commission initiated a Scheme for Vocationalisation of Education at the first degree level. To begin which, UGC identified 35 courses in Sciences, Engineering & Technology, Commerce & Economics, Arts, Humanities and Social Sciences under the above Scheme. As on date, the Scheme is being implemented in 1356 Colleges and Universities in the country.

(c) and (d) There is no such proposal under consideration of the Government.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दिया जाना

2273. **श्री मोहम्मद आजम खानः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पिछले दो वर्षों से विश्वविद्यालय की बैठक बुलाए बिना विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को स्वयं मंजूरी दे रहे हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति न किए जाने का क्या कारण है; और

(ख) क्या विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बजट और वार्षिक रिपोर्ट स्वीकार करने और संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व और अधिकार विश्वविद्यालय कोर्ट को दिया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-

विद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उप धारा (2) और (4) के अनुसार विश्वविद्यालय की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की प्रति इसकी कार्यकारी परिषद् की टिप्पणियों के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जानी थी जिसे शीघ्रातिशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना था। तदनुसार वर्ष 1995-96 और 1996-97 के इन दस्तावेजों को विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद् द्वारा संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखने से पहले क्रमशः 3 मई, 1997 और 6 अप्रैल, 1998 को अनुमोदित कर दिया था।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 34 में प्रावधान है कि विश्वद्यिालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्यकारी परिषद् के निर्देशाधीन तैयार की जाएगी तथा कोर्ट को उस तिथि पर या उसके पश्चात् की जाएगी जो संविधियों द्वारा प्रस्तावित हैं तथा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाने से पहले कोर्ट इस पर अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगा जिसे शीघ्रातिशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। कोर्ट की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी तथा कुलपति ने अधिनियम की धारा 19(3) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1995-96 और 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट अनुमोदित कर दी थी।

Grants for Sports Infrastructure in Rural Schools

2274. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the State-wise number of rural schools given Central grants for creation of sports infrastructure under the scheme of Grants to Rural Schools;

(b) the number of play fields developed under this scheme; and